

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13013/2/2009-अ.भा.से.(1)/भाग

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

### अधिसूचना

भारत सरकार की दिनांक 18 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 13013/2/2009-अ.भा.से.(1) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तन्वोली अय्याज फकीरभाई का, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैण्ड संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में आवंटन करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,


फरीदाबाद (हरियाणा).

संख्या 13013/2/2009-अ.भा.से.(1)/भाग

नई दिल्ली दिनांक 24.01.2011

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति अर्गैषित :-

- मुख्य सचिव, नागालैण्ड सरकार, कोहिमा को इस अनुरोध के साथ कि वे नागालैण्ड संवर्ग से अधिकारी को कार्यभार मुक्त करें।
- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर।
- महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा।
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

### आंतरिक वितरण

ए.आई.एस.(II), ए.आई.एस.(III)/आर.ओ.(सीएम)/ई.ओ.(एस.एम-1)/एन.आई.सी. (अधिसूचना को कार्यालय के वेबसाइट में देने के लिए)